न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 26/2013 (2013/00002)

श्री पवन कुमार जैन पुत्र स्व0 श्री गोविन्द जैन निवासी बाजेवाली गली, केसरगंज अजमेर तहसील व जिला–अजमेर। ..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।
2. नायब तहसीलदार द्वितीय, अजमेर तहसील अजमेर। ..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री निर्मलकुमार नौरतमल जैन अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री हेमराज राठौड राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 06.02.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2070 में अपीलान्ट द्वारा पटवार हल्का परबतपुरा ग्राम सेंदरिया तहसील अजमेर व जिला–अजमेर स्थित आराजी खसरा सं0 1126 रकबा 0–15 हैक्टर किस्म बीड मे से 0–04 हैक्टर पर अनाधिकृत रूप से दीवार निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार अजमेर द्वितीय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 74/2013 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 11.10.2013 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली एवं शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 11.10.2013 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय के नोटिस पर दिनांक 09.12.2017 को जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विवादित भूमि श्रीमती हेमलता जैन के द्वारा जरिए पंजीबद्ध बैनामा खरीद की गई है तथा खरीद दिनांक से उन्हीं का कब्जा है। इसके बावजूद श्रीमती हेमलता जैन को बिना नोटिस दिये एवं पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। विवादित भूमि अरबन क्षेत्र में होने से इसके भू–रूपान्तरण/नियमन हेतु नगर सुधार न्यास, अजमेर के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 3.1.2013 को ही प्रस्तुत कर दिया गया है, जो विचाराधीन है। अरबन क्षेत्र एवं नगर निगम क्षेत्र में स्थित भूमियों बाबत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही तहसीलदार को किये जाने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर अपीलाधीन साईक्लो स्टाईल आदेश पारित किया है जो आदेश की श्रेणी में नहीं आने से काबिले निरस्त है। बहस जारी रखते हुए वकील अपीलान्ट ने आगे निवेदन किया कि नोटिस में अन्तर्गत धारा 91, तथा ग्राम का नाम परबतपुरा अकित किया गया है,

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

जब कि भूमि ग्राम सेंदरिया की है जो जरिये पंजीबद्ध विकय पत्र के कय शुदा होने से विधि के प्रतिकूल है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2013 को निरस्त फरमाया जावें।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर दीवार बनाकर अतिकमण किये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है। उसी के तहत कब्जा अतिकमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर, प्रावधानों अनुसार अतिकमी को नोटिस जारी किया जाकर, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है। राजकीय भूमि पर दीवार निमार्ण कर अतिकमण किये जाने पर नायब तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस, पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2013 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.02..2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner